(99)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 6–1/2010/1/9 भोपाल,दिनांक 30 अगस्त,2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः निःशक्तजन (मानसिक मन्द, सेरीब्रल पॉलिसी, आटिज्म एवं बहु विकलांग) के माता पिता को स्थानांतरण नीति में शामिल करने बाबत्।

संदर्भः इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.04.2010

––0––

वर्ष 2010–11 के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण करने के संबंध में कृपया संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी स्थानांतरण नीति का अवलोकन हो। स्थानांतरण नीति की कंडिका 9.16 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

9.16 ऐसे विकलांग कर्मचारी, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के सामान्यतः स्थानांतरण न किये जायें, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।

2/ निःशक्त कर्मचारियों के लिए सभी स्थानों पर उपचार आदि की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उनकी परेशानियों को देखते हुए स्थानांतरण नीति में उपर्युक्त प्रावधान किया गया है। किन्तु ऐसे शासकीय कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है जिनके बच्चे मानसिक निःशक्तता अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों की शिक्षा एवं उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं जो केवल बड़े नगरों में ही उपलब्ध हो पाती हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे अभिभावको की

.....2.....

परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने उनके परिपत्र क्रमांक ए 3–14/17/41/90 –स्था (आरआर) दिनांक 15 फरवरी, 1991 द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये हैः–

> 'the facilities for medical help and education of mentally retarded children may not be available at all stations, a choice in the place of posting is likely to be of some help to the parent in taking care of such an employee at a place of his/her choice, Ministries/Departments are requested to take a sympathetic view on the merits of each case and accommodate such requests for posting to the extent possible.'

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनका पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है, स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से अपनी सुविधा की ऐसी जगह पर पदस्थापना प्राप्त करने की छूट दी जाए जहां निःशक्तता से पीड़ित उनके पुत्र/पुत्री का उपचार एवं शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 6–1/2010/1/9 भोपाल, दिनांक 30/ 08/2010

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
16. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
17. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

26.8.10

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग